नई धारा 111क का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 111 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर ।

'111क. जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किया जाता है, उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा,—

(i) कुल आय पर संदेय आय-कर की रकम जैसी कि वह ऐसी अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की रकम को घटाकर आए मानो इस प्रकार घटाकर आई कुल आय उसकी कुल आय हो ; और

(ii) ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम :

परंतु किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी जिससे इस प्रकार घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम पड़ जाती है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के अतिशेष पर कर की संगणना दस प्रतिशत की दर से की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति" और "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो धारा 10 के खंड (38) में हैं । '।

धारा 115कघ का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ii) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर परिकलित आय-कर की रकम दस प्रतिशत की दर से होगी ;"।

धारा 115ञख का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के स्पष्टीकरण में 1 अप्रैल, 2005 से,—

(क) खंड (i) में, "धारा 10" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 10 [उसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न]" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में "धारा 10" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 10 [उसके खंड (23छ) में अंतर्विष्ट उपबंधों से भिन्न]" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115द का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में,—

(क) "साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी :" शब्दों के स्थान पर, 9 जुलाई, 2004 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(i) किसी व्यक्ति को, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत ; और

(ii) किसी अन्य व्यक्ति को वितरित आय पर बीस प्रतिशत,

की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी :";

(ख) परंतुक में, "1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 12छ का अंतःस्थापन ।

28. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12च के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'अध्याय 12छ

पोत कंपनियों की आय से संबंधित विशेष उपबंध

क—प्रयुक्त कतिपय पदों के अर्थ

परिभाषाएं ।

115फ. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनावृत्त नौका चार्टर" से किसी पोत को ऐसे निबंधनों पर, जो भाड़े पर लेने वाले को पोत का कब्जा और नियंत्रण, जिसके अंतर्गत मास्टर और कर्मीदल की नियुक्ति का अधिकार भी है, देते हैं, किसी अनुबद्ध अवधि के लिए भाड़े पर लेना अभिप्रेत है ;

(ख) "अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण" से, जहां पोत का स्वामित्व विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् किसी कंपनी को, जिसके लिए इसे भाड़े पर लिया गया है, अंतरित किए जाने के लिए आशयित है, वहां अनावृत्त नौका चार्टर अभिप्रेत है ;

(ग) "पोत परिवहन महानिदेशक" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पोत परिवहन महानिदेशक अभिप्रेत है ; 1958 का 44

(घ) "कारखाना पोत" के अंतर्गत मत्स्य उत्पाद के प्रसंस्करण की सेवाएं प्रदान करने वाला जलयान भी है ;

(ङ) "मछली पकड़ने का जलयान" का वही अर्थ है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (12) में है ; 1958 का 44

(च) "क्रीड़ा यान" से किसी प्रकार का ऐसा पोत अभिप्रेत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खेलकूद या आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए किया जाता है ;

(छ) "अर्हक कंपनी" से धारा 115फग में निर्दिष्ट कंपनी अभिप्रेत है ;

(ज) "अर्हक पोत" से धारा 115फघ में निर्दिष्ट पोत अभिप्रेत है ;

(झ) "समुद्रगामी पोत" से कोई पोत अभिप्रेत है, यदि उसे किसी देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है ;

(ञ) "टनभार आय" से इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई किसी कंपनी की आय अभिप्रेत है;

(ट) "टनभार कर क्रियाकलाप" से धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप अभिप्रेत है ;

(ठ) "टनभार कर कंपनी" से ऐसी अर्हक कंपनी अभिप्रेत है, जिसके संबंध में टनभार कर विकल्प प्रवृत्त है ;

(ड) "टनभार कर स्कीम" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना के लिए कोई स्कीम अभिप्रेत है ।

ख—अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से टनभार आय की संगणना

अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से लाभों और अभिलाभों की संगणना।

115फक. धारा 28 से धारा 43ग में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी कंपनी की दशा में, अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से आय की संगणना, उसके विकल्प पर, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी और ऐसी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार का लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

पोत प्रचालन ।

115फख. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी कंपनी को पोत प्रचालन करने वाली कंपनी समझा जाएगा, यदि वह किसी पोत का, चाहे वह उसके स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, प्रचालन करती है और इसके अंतर्गत कोई ऐसी दशा भी है, जिसमें पोत का एक भाग ही स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी किसी व्यवस्था में उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया है :

परंतु किसी ऐसी कंपनी को पोत का प्रचालक नहीं माना जाएगा, जिसे उसके द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर-सह-पट्टांतरण निबंधनों पर या अनावृत्त नौका चार्टर निबंधनों पर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भाड़े पर दिया गया है ।

अर्हक कंपनी ।

115फग. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई कंपनी, अर्हक कंपनी है, यदि,—

1956 का 1

(क) वह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है ;

(ख) कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान भारत में है ;

(ग) वह कम से कम एक अर्हक पोत की स्वामी है ; और

(घ) कंपनी का एक प्रमुख उद्देश्य अर्हक पोतों के प्रचालन का कारबार करना है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान" से,—

(क) वह स्थान, जहां, यथास्थिति, कंपनी का निदेशक बोर्ड या उसके कार्यकारी निदेशक अपने विनिश्चय करते हैं ; या

(ख) उस दशा में, जहां निदेशक बोर्ड कंपनी के कार्यकारी निदेशकों या अधिकारियों द्वारा किए गए वाणिज्यिक और नीतिगत विनिश्चयों को नियमित रूप से अनुमोदित करते हैं, वह स्थान, जहां कंपनी के ऐसे कार्यकारी निदेशक या अधिकारी अपने कृत्यों का पालन करते हैं,

अभिप्रेत है ।

अर्हक पोत ।

115फघ. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "अर्हक पोत" से पन्द्रह या अधिक शुद्ध टनभार का कोई ऐसा समुद्रगामी पोत या जलयान अभिप्रेत है, जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसकी बाबत उसका शुद्ध टनभार उपदर्शित करने वाला विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रवृत्त है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

1958 का 44

(i) कोई समुद्रगामी पोत या जलयान, यदि उसका मुख्य उद्देश्य, जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, उस किस्म के माल या सेवाओं का उपबंध करना है जो, भूमि पर सामान्यतया उपलब्ध कराई जाती हैं ;

(ii) मछली पकड़ने का जलयान ;

(iii) कारखाना पोत ;

(iv) क्रीड़ा यान ;

(v) बंदरगाह और नदी नौघाट ;

(vi) अपतट संस्थापन ;

(vii) निकर्षण पोत ;

(viii) ऐसा अर्हक पोत, जिसका किसी पूर्ववर्ष के दौरान तीस दिन से अधिक की अवधि के लिए मछली पकड़ने के जलयान के रूप में प्रयोग किया जाता है ।

टनभार कर स्कीम के अधीन आय की संगणना की रीति ।

115फङ. (1) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय को प्रोद्भूत करने वाले अर्हक पोत प्रचालन के कारबार को कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से सुभिन्न पृथक् कारबार (जिसे इसके पश्चात् इस अध्याय में टनभार कर कारबार कहा गया है) के रूप में समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक् रूप में संगणित किया जाएगा ।

(4) टनभार कर स्कीम केवल तभी लागू होगी, जब धारा 115पत के उपबंधों के अनुसार उस आशय का कोई विकल्प दिया जाता है ।

(5) जहां, यथास्थिति, अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी कोई कंपनी टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है या उसने उस आशय का विकल्प नहीं दिया है, वहां ऐसे कारबार से उस कंपनी के लाभों और अभिलाभों की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

टनभार आय ।

115फच. इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार आय की संगणना धारा 115फछ के अनुसार की जाएगी और इस प्रकार संगणित आय, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य लाभ समझी जाएगी तथा धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत पोत परिवहन की आय कर से प्रभार्य नहीं होगी।

टनभार आय की संगणना ।

115फछ. (1) किसी पूर्ववर्ष के लिए टनभार कर कंपनी की टनभार आय प्रत्येक अर्हक पोत की कुल टनभार आय होगी, जो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई हो ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक अर्हक पोत की टनभार आय प्रत्येक ऐसे पोत की दैनिक टनभार आय होगी, जिसे—

(क) यथास्थिति, पूर्ववर्ष में दिनों की संख्या ; या

(ख) यदि पोत को कंपनी द्वारा पूर्ववर्ष के केवल एक भाग के लिए अर्हक पोत के रूप में प्रचालित किया जाता है तो पूर्ववर्ष के भाग के दौरान दिनों की संख्या,

से गुणा किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, नीचे सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट टनभार वाले किसी अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय, उसके तत्स्थानी स्तंभ (2) की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रकम होगी :

सारणी

शुद्ध टनभार वाला अर्हक पोत	दैनिक टनभार आय की रकम
(1)	(2)
1,000 तक	46 रु० प्रति सौ टन
1,000 से अधिक किंतु 10,000 से अनधिक	460 रु० **धन** 1000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 35 रु०
10,000 से अधिक किंतु 25,000 से अनधिक	3,610 रु० **धन** 10,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 28 रु०
25,000 से अधिक	7,810 रु० **धन** 25,000 टन से अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 19 रु०

(4) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "टनभार" से धारा 115फभ में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित किसी पोत का टनभार अभिप्रेत होगा और इसके अंतर्गत विहित रीति में संगणित समझा गया टनभार भी है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "समझा गया टनभार," स्लाटों, स्लाट चार्टर के क्रय की व्यवस्था और जलयान का माल निकालने में से हिस्सा बंटाने की व्यवस्था के संबंध में टनभार होगा ।

(5) टनभार को सौ टनों के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए किलोग्रामों वाले किसी टनभार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और तत्पश्चात् यदि ऐसा टनभार सौ का गुणज नहीं है तब, यदि उस मात्रा में अंतिम अंक पचास टन या अधिक है, तो टनभार को अगले उच्चतर टनभार तक बढ़ाया जाएगा, जो सौ का गुणज है और यदि अंतिम अंक पचास टन से कम है तो टनभार को अगले निम्नतर टनभार तक, जो सौ का गुणज है, घटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार पूर्णांकित टनभार को इस धारा के प्रयोजनों के लिए पोत का टनभार समझा जाएगा ।

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन टनभार आय की संगणना करने में कोई कटौती या मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

संयुक्त प्रचालन, आदि की दशा में परिकलन ।

115फज. (1) जहां कोई अर्हक पोत दो या अधिक कंपनियों द्वारा पोत में संयुक्त हित के रूप में या पोत के प्रयोग के लिए किसी करार के रूप में प्रचालित किया जाता है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित किए जाने योग्य हैं वहां ऐसी प्रत्येक कंपनी की टनभार आय उस हित के उनके अंश के अनुपात में आय के अंश के बराबर रकम होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां दो या अधिक कंपनियां किसी अर्हक पोत की प्रचालक हैं, वहां प्रत्येक कंपनी की टनभार आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो केवल ऐसी प्रत्येक कंपनी ही प्रचालक रही हो ।

सुसंगत पोत आय ।

115फझ. (1) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय से, —

(i) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से उसके लाभ ;

(ii) उपधारा (5) में निर्दिष्ट आनुषंगिक क्रियाकलापों से उसके लाभ,

अभिप्रेत हैं :

परंतु जहां खंड (ii) में विनिर्दिष्ट सभी ऐसी आयों का योग उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से आवर्त के एक बटा चार प्रतिशत से अधिक होता है, वहां ऐसा आधिक्य इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पोत आय का भाग नहीं बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगा ।

(2) किसी टनभार कर कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप निम्नलिखित होंगे—

(i) अर्हक पोतों का प्रचालन करने के उसके क्रियाकलाप ; और

(ii) नीचे यथाउल्लिखित अन्य पोत संबंधी क्रियाकलाप,—

(अ) निम्नलिखित की बाबत पोत संविदाएं—

(i) एकीकरण व्यवस्थाओं से उपार्जन ;

(ii) माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदाएं ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "एकीकरण व्यवस्था" से, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच एक या अधिक पोतों के एकीकरण या प्रचालन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और उनके बीच परस्पर तय पाए गए आधार पर उपार्जन या प्रचालन संबंधी लाभों में हिस्सा बंटाने के लिए कोई करार अभिप्रेत है ;

(ख) "माल वहन के लिए पोत तय करने संबंधी संविदा" से ऐसी कोई सेवा संविदा अभिप्रेत है, जिसके अधीन कोई टनभार कर कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि में अभिहित लदाई और उतराई के पत्तनों के बीच विनिर्दिष्ट दर पर विनिर्दिष्ट उत्पादों की विनिर्दिष्ट मात्रा के परिवहन का करार करती है ।

(आ) विनिर्दिष्ट पोत व्यापार, जो—

(i) यात्री पोतों के फलक पर या तट पर क्रियाकलाप हैं, जिनमें भाड़ा और फलक पर उपभोग किए जाने वाला खाद्य और सुपेय भी हैं ;

(ii) स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर, संयुक्त चार्टर, पोषक सेवाएं, आधान पोत की आधान पेटियां पट्टे पर देना हैं ।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप को अपवर्जित कर सकेगी या उस सीमा को विहित कर सकेगी, जिस तक ऐसे क्रियाकलाप इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित किए जाएंगे ।

(4) इस अध्याय के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथासंभवशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह तीस दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुषंगिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि यथापूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् वाले सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि अधिसूचना में कोई उपांतरण किए जाने चाहिएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो, तत्पश्चात् अधिसूचना का, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभाव होगा या निष्प्रभाव हो जाएगी, तथापि, उस अधिसूचना के उपांतरित या निषप्रभावी होने से उसके अधीन पहले से की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(5) आनुषंगिक क्रियाकलाप, वे क्रियाकलाप होंगे, जो मुख्य क्रियाकलापों के आनुषंगिक हैं और जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए ।

(6) जहां कोई टनभार कंपनी ऐसे किसी पोत का प्रचालन करती है, जो अर्हक पोत नहीं है वहां वह आय, जो ऐसे अनर्हक पोत के प्रचालन से होती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी ।

(7) जहां टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित किसी माल या सेवाओं को किसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार में अंतरित किया जाता है या जहां ऐसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए टनभार कर कारबार को अंतरित किया जाता है और प्रत्येक दशा में, टनभार कर कारबार के लेखाओं में यथा अभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई है, अंतरण की तारीख को उस माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के समरूप नहीं होता है, वहां इस धारा के अधीन सुसंगत पोत आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो प्रत्येक दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था :

परंतु जहां, निर्धारण अधिकारी की राय में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत पोत आय की संगणना करने में आपवादिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी आय की संगणना ऐसे युक्तियुक्त आधार पर कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी माल या सेवाओं के संबंध में "बाजार मूल्य" से वह कीमत अभिप्रेत है, जो ऐसा माल या सेवाएं खुले बाजार में सामान्यतया विक्रय पर प्राप्त करेंगी ।

(8) जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि टनभार कर कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किए गए कारबार से टनभार कर कंपनी को उन सामान्य लाभों से, जिनके टनभार कर कारबार में उत्पन्न होने की आशा की जा सकती, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए टनभार कंपनी की सुसंगत पोत आय की संगणना करने में उस आय की रकम को हिसाब में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न हुई समझी जाए ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, यदि टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय के अंतर्गत कोई हानि है तो ऐसी हानि को टनभार आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

सामान्य खर्चों का दिया जाना ।

115फञ. (1) जहां कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर कारबार से भिन्न कोई कारबार या क्रियाकलाप भी करती है, वहां सामान्य खर्चे, जो टनभार कर कारबार से हुए माने जा सकते हैं, युक्तियुक्त आधार पर अवधारित किए जाएंगे ।

(2) जहां अर्हक पोत से भिन्न किसी आस्ति का, टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर कारबार के लिए पूर्णतया उपयोग नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति के संबंध में अवक्षयण को निर्धारण अधिकारी द्वारा, टनभार कर कारबार के प्रयोजन के लिए और अन्य कारबार के लिए ऐसी आस्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, उसके टनभार कर कारबार और अन्य कारबार के बीच उचित अनुपात में आबंटित किया जाएगा ।

अवक्षयण ।

115फट. (1) धारा 115फठ के खंड (iv) के अधीन अवक्षयण की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, टनभार कर स्कीम के पहले पूर्ववर्ष के लिए (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में पहला पूर्ववर्ष कहा गया है) अवक्षयण की संगणना उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अर्हक पोत के अवलिखित मूल्य पर की जाएगी ।

(2) पूर्ववर्ष के पहले दिन को आस्तियों, जो पोत हैं, के समूह के अवलिखित मूल्य को, अर्हक पोतों के (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में अर्हक आस्ति कहा गया है) अवलिखित बही मूल्य और गैर-अर्हक पोतों के (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में अन्य आस्ति कहा गया है) के अवलिखित बही मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथा अवधारित अर्हक आस्तियों का समूह, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आस्तियों का पृथक् समूह होगा ।

(4) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अर्हक आस्तियों के समूह और अन्य आस्तियों के समूह के बही अवलिखित मूल्य की संगणना निम्नलिखित रीति से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को प्रत्येक अर्हक आस्ति और अन्य आस्तियों का, जो विभाजित की जाने वाली आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य और पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को प्रत्येक ऐसी आस्ति का बही अवलिखित मूल्य लेकर अवधारित किया जाएगा :

परंतु ऐसी आस्तियों के मूल्य में, उस तारीख के, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, पश्चात् उनके पुनःमूल्यांकन के परिणामस्वरूप हुए, किसी परिवर्तन को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ;

(ख) सभी अर्हक आस्तियों और अन्य आस्तियों के बही अवलिखित मूल्य संकलित किए जाएंगे ; और

(ग) अर्हक आस्तियों के संकलित बही अवलिखित मूल्य और अन्य आस्तियों के संकलित बही अवलिखित मूल्य का अनुपात अवधारित किया जाएगा ।

(5) जहां किसी आस्ति का, जो आस्तियों के समूह का भागरूप है, टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, वहां ऐसी आस्ति के आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग, आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और अन्य आस्तियों के समूह में जोड़ दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आस्ति को जिसका टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग वह रकम होगी, जिसका पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को अर्हक आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य के साथ वही अनुपात है, जो टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना आरंभ किए जाने वाली आस्ति के बही अवलिखित मूल्य का, सभी आस्तियों के जो अर्हक आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य से है ।

(6) जहां किसी आस्ति का, जो अन्य आस्तियों के समूह का भागरूप है, टनभार कर के कारबार के लिए प्रयोग किया जाना आरंभ होता है, वहां ऐसी आस्ति को आबंटनीय अवलिखित मूल्य, अन्य आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य से घटा दिया जाएगा और अर्हक आस्तियों के समूह में जोड़ दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उस आस्ति को, जिसका टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किया जाना आरंभ होता है, आबंटनीय अवलिखित मूल्य का समुचित भाग वह रकम होगी, जिसका पूर्ववर्ष के प्रथम दिन को अन्य आस्तियों के समूह के अवलिखित मूल्य के साथ वही अनुपात है जो टनभार कर कारबार के लिए उपयोग किए जाने वाली आस्ति के बही अवलिखित मूल्य का, सभी आस्तियों के, जो अन्य आस्तियों के समूह का भागरूप हैं, बही अवलिखित मूल्य से है ।

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) में उल्लिखित किसी आस्ति के संबंध में धारा 115फठ के खंड (iv) के अधीन अवक्षयण की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, पूर्ववर्ष के लिए संगणित अवक्षयण को, उन दिनों की संख्या के, जिनके लिए आस्ति का टनभार कर कारबार के लिए और टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया था, अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अर्हक आस्तियों के समूह और इस प्रकार सृजित अन्य आस्तियों के समूह के संबंध में अवक्षयण इस प्रकार अनुज्ञात किया जाएगा, मानो उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवलिखित मूल्य पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष से अग्रनीत किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अवलिखित बही मूल्य" से लेखा बहियों में आने वाला अवलिखित मूल्य अभिप्रेत है ।

कटौती और मुजरा आदि का साधारण अपवर्जन ।

115फठ. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी टनभार कर कंपनी की टनभार आय की, किसी पूर्ववर्ष के लिए (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "सुसंगत पूर्ववर्ष" कहा गया है), जिसमें वह इस अध्याय के अनुसार कर से प्रभार्य है, संगणना करने में—

(i) धारा 30 से धारा 43ख इस प्रकार लागू होंगी, मानो उनमें निर्दिष्ट और किसी सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी के संबंध में या उसके लिए अनुज्ञेय प्रत्येक हानि, मोक या कटौती को उस पूर्ववर्ष के लिए ही पूरा प्रभाव दिया गया हो ;

(ii) धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (3) या धारा 71 की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 72क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई हानि, जहां तक ऐसी हानि कंपनी के अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी, जहां ऐसी हानि ऐसे किसी पूर्ववर्ष से संबंधित है, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन है ;

(iii) अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से लाभों और अभिलाभों के संबंध में अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ; और

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में, टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की गई किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा, मानो कंपनी ने सुसंगत पूर्ववर्षों के लिए अवक्षयण के संबंध में दावा किया हो और कटौती वास्तव में अनुज्ञात की गई हो ।

हानि का अपवर्जन ।

115फड. (1) धारा 72 किन्हीं ऐसी हानियों के संबंध में, जो किसी कंपनी को, टनभार कर स्कीम में उसके विकल्प के पूर्व प्रोद्भूत हुई हैं और जो उसके टनभार कर कारबार के कारण होती हैं, इस प्रकार लागू होंगी मानो ऐसी हानियां उन पूर्ववर्षों में से किसी में, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन थी, सुसंगत पोत आय के प्रति मुजरा की गई थीं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानियां, ऐसे किसी पूर्ववर्ष से, जिसमें या जिसके पश्चात् कंपनी धारा 115फत के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करती है, सुसंगत पोत आय से भिन्न किसी आय के प्रति मुजरा के लिए उपलभ्य नहीं होंगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानियों का अवधारण करने के लिए आवश्यक कोई प्रभाजन, युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा।

टनभार कर आस्तियों के अंतरण से प्रभार्य अभिलाभ ।

115फढ. किसी पूंजी आस्ति के, जो आस्तियों के अर्हक समूह का भागरूप आस्ति है, अंतरण से उद्भूत कोई लाभ या अभिलाभ, धारा 50 के साथ पठित धारा 45 के उपबंधों के अनुसार आय-कर से प्रभार्य होंगे और इस प्रकार उद्भूत पूंजी अभिलाभों की संगणना, धारा 45 से धारा 51 तक के उपबंधों के अनुसार की जाएगी :

परंतु ऐसे लाभों या अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, धारा 50 के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो, "आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "अर्हक आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य" शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "अर्हक आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य" से, धारा 115फट की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित मूल्य अभिप्रेत है ।

धारा 115ञख से अपवर्जन ।

115फण. धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी टनभार कर कंपनी के क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभ या हानि, धारा 115ञख के प्रयोजनों के लिए कंपनी के बही लाभ से अपवर्जित की जाएगी ।

ग—टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए प्रक्रिया

टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पद्धति और समय ।

115फत. (1) कोई अर्हक कंपनी, उस संयुक्त आयुक्त को, जिसकी कंपनी पर अधिकारिता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, आवेदन करके टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवदेन किसी विद्यमान अर्हक कंपनी द्वारा, 30 सितंबर, 2004 के पश्चात्, किंतु 1 जनवरी, 2004 के पूर्व (जिसे इसके पश्चात् "आरंभिक अवधि" कहा गया है) किया जा सकेगा :

परंतु—

(i) आरंभिक अवधि के पश्चात् निगमित कोई कंपनी ; या

(ii) आरंभिक अवधि के पूर्व निगमित कोई कंपनी, जो आरंभिक अवधि के पश्चात् पहली बार अर्हक कंपनी हो जाती है,

यथास्थिति, अपने निगमन की तारीख से या उस तारीख से, जिसको वह अर्हक कंपनी हो जाती है, तीन मास की अवधि के भीतर आवेदन कर सकेगी ।

(3) संयुक्त आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, कंपनी से ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो वह कंपनी की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे, मंगा सकेगा और टनभार कर स्कीम के लिए ऐसा विकल्प करने के संबंध में कंपनी की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात्, वह —

(i) टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा ; या

(ii) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के अनुमोदन से इन्कार करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी :

परंतु खंड (ii) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो ।

(4) उपधारा (3) के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करने या उससे इंकार करने वाला प्रत्येक आदेश, उस मास की समाप्ति से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किया गया था, एक मास की समाप्ति के पूर्व पारित किया जाएगा ।

(5) जहां उपधारा (3) के अधीन अनुमोदन प्रदान करने वाला कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां इस अध्याय के उपबंध उस पूर्ववर्ष से, जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से लागू होंगे ।

वह अवधि, जिसके लिए टनभार कर विकल्प प्रवृत्त रहेगा ।

115फथ. (1) टनभार कर स्कीम के लिए कोई विकल्प, धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, दस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से गणना में लिया जाएगा ।

(2) टनभार कर स्कीम के लिए कोई विकल्प, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष से प्रभावी नहीं रह जाएगा, जिसमें—

(क) अर्हक कंपनी, अर्हक कंपनी नही रहती है ;

(ख) धारा 115फन या धारा 115फप या धारा115फफ में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो,

(ग) टनभार कर कंपनी, धारा 115फयग के अधीन टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर दी जाती है ;

(घ) अर्हक कंपनी निर्धारण अधिकारी को इस आशय की लिखित रूप में घोषणा प्रस्तुत करती है कि इस अध्याय के उपबंध उसे लागू न किए जाएं और अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से कंपनी के लाभों और अभिलाभों की इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणना की जाएगी ।

टनभार कर स्कीम का नवीकरण ।

115फद. (1) धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें विकल्प प्रभावी नहीं रह गया है, समाप्ति से एक वर्ष के भीतर नवीकृत किया जा सकेगा ।

(2) धारा 115फत और 115फथ के उपबंध, टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के नवीकरण के संबंध में उसी रीति से लागू होंगे जैसे वे टनभार कर स्कीम के विकल्प के अनुमोदन के संबंध में लागू होते हैं ।

कतिपय मामलों में टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रतिषेध ।

115फध. कोई अर्हक कंपनी जो, स्वप्रेरणा से, टनभार कर स्कीम छोड़ने के विकल्प का प्रयोग करती है या धारा 115फन या धारा 115फप या धारा 115फफ के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है या जिसका विकल्प धारा 115फयग की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर दिया गया है, इस प्रकार, यथास्थिति, स्कीम छोड़ने के विकल्प का प्रयोग करने या व्यतिक्रम करने या आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पात्र नहीं होगी ।